न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस.,जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 61/2018 **(जी सी एम एस नम्बर 2018/00148)**

उनवानी प्रकरण :–

दिनेश कुमार पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी निवासी छपेटीपाडा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर ....**अपीलान्ट**

बनाम्

1–तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर

2–रामवेटी पत्नी तुलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा बाडी हाल निवासी आंनद आश्रम वृन्दावन जिला मथुरा उ0प्र0

3–भोलू	/		/ समस्त जातिगण ब्राहम्ण
4–पालू उर्फ उमेश	/	पुत्रगण	/
5–पप्पू	/	ओमप्रकाश	/ समस्त निवासीगण
6–बीना	/	पुत्रीयान	/
7–राधा	/		/ लश्कर ग्वालियर म0प्र0
8–मल्ला	/	ओमप्रकाश	/
9–सपना	/		/

_________रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार बाडी तारीखी 10.09.2018 बावत नामान्तकरण संख्या 2608 बॉके कस्वा बाडी नम्बर–3 तहसील बाडी

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :–	श्री रामअवतार गौड एडवोकेट
रेस्पो0सं01 की ओर से :–	पैरोकार सरकार
रेस्पो0 सं02 की ओर से :–	श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0 सं03लगा09 की ओर से:–	––

दिनांक : 27.11.2024

निर्णय

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है कि अपीलान्ट उपरोक्त प्रकरण में विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा अपीलान्ट को सूचना दिये बिना रेस्पो0सं01 द्वारा बिना किसी अधिकार के एवं तथ्यों की समुचित जॉच पडताल किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किय है जिससे व्यथित

होकर यह अपील अपीलान्ट ने निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 में न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2014 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट रामवेटी द्वारा दिनांक 1.1.2002 को पारित नामान्तकरण आदेश वांके ग्राम बाडी नम्बर–1 के वावत अपील प्रस्तुत की है जबकि तहसीलदार बाडी द्वारा विना किसी आदेश के अपीलाधीन आदेश पारित कर बहुत बडी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बाडी द्वारा तथ्यों की समुचित जांच पडताल किये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है तथा अपीलाधीन आदेश काविल खारिजी के है। अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 1.10.2018 को हल्का पटवारी से हुआ ततपश्चात अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी बाडी के यहॉ पेश किया चुनाव एंव दीगर राजकाज में व्यस्त होने के कारण हल्का पटवारी से दिनांक 21.10.2018 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त हुई। अतःअपीलान्ट विना देरी के ज्ञान से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी कन्डोन किये जाने हेतु पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीम आदेश तहसीलदार बाडी तारीखी 10.9.2018 मनसूख फरमाये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। रैस्पो0सं02 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने एवं रैस्पो0संख्या 3लगा09 की ओर से श्री संदीप कुमार दुवे एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलव किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 1.10.2018 को हल्का पटवारी से हुआ ततपश्चात अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी बाडी के यहॉ पेश किया चुनाव एंव दीगर राजकाज में व्यस्त होने के कारण हल्का पटवारी से दिनांक 21.10.2018 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त हुई। *जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है जिससे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाकर अपील अपीलान्ट ज्ञान से अंदर अवधि शुमार की जावे। रैस्पोडेन्ट सं02 के अभिभाषक का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2608 वाके कस्वा बाडी नम्बर–3 तारीखी 10.9.2018 पारितं करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई एवं जबावदेई का मौका दिया था तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश तारीखी 10.9.2018 का ज्ञान प्रार्थी/अपीलान्ट को आदेश तारीखी 10.09.2018 की दिनांक से ही था। विलम्ब क्षमा करने के लिए कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रा0पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश की गई है। इस विनाय पर प्रा0पत्र काबिल खारिजी के है। दोनों पक्षों को सुनने*

के बाद अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधर अपील का निर्णय किया जाना हम उचित समझते है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

बहस अन्तिम विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव रेस्पो0सं02 के अभिभाषक की सुनी गई। रैस्पो0सं03लगा09 के अभिभाषक ने बहस में भाग नहीं लिया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बाडी द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.09.2018 में न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2014 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट रामवेटी द्वारा दिनांक 1.1.2002 को पारित नामान्तकरण आदेश वांके ग्राम बाडी नम्बर–1 के वावत अपील प्रस्तुत की है जबकि तहसीलदार बाडी द्वारा विना किसी आदेश के अपीलाधीन आदेश पारित कर बहुत बडी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बाडी द्वारा तथ्यों की समुचित जांच पडताल किये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है तथा अपीलाधीन आदेश काविल खारिजी के है।

अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि जहॉ नामान्तकरण तस्दीक करने में विवाद नहीं है तो वह धारा 135(1)एल.आर.एक्ट के तहत सहायक भू–अभिलेख अधिकारी का आदेश होगा। जहॉ पर दोनो पक्ष उपस्थित होकर नामान्तकरण के तस्दीक पर प्रतिवाद(कन्टेस्ट) या विवाद कर रहे हो तो ऐसा आदेश धारा 135(2) में भू–अभिलेख अधिकारी का होगा पर उसकी अपील अति0संभगीय आयुक्त या संभागीय आयुक्त को होगी। उक्त अपील में भी न्यायालय श्रीमान के निर्णय दिनांक 30.12.2014 नम्बरी 01/2014 उनवानी रामवेटी बनाम तहसीलदार में पारित निर्णय एवं निर्देशों के अनुकम में तहसीलदार बाडी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश पारित किया गया है जो तहसीलदार बाडी द्वारा विवाद होने की वजह से भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से धारा 135(2) एल आर एक्ट के तहत पारित किया गया है तथा जिसकी अपील न्यायालय श्रीमान अति0संभागीय आयुक्त के समक्ष ही पोषणीय है न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष यह अपील पोषणीय नहीं है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 1993 पेज 28 न्यायिक दृष्टान्त पेश कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य रूप से यह कथन है कि तहसीलदार बाडी द्वारा अपने आदेश दिनांकं 10.09.2018 में न्यायालय जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 1/2014 में पारित निर्णय का हवाला देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट रामवेटी द्वारा दिनांक 1.1.2002 को पारित नामान्तकरण आदेश वांके ग्राम बाडी नम्बर–1 के वावत अपील प्रस्तुत की है जबकि तहसीलदार बाडी द्वारा विना किसी आदेश के अपीलाधीन आदेश

पारित किया है। इस सम्बध में इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण अपील मुकद्दमा नम्बर 1/2014 उनवानी रामवेटी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2014 में अपीलान्ट रामवेटी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2608 दिनांक 01.01.2002 वांके कस्वा बाडी नम्बर–3 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बाडी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया गया है कि वह प्रकणा में विस्तृत जांच कर गुणावगुण के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। उक्त आदेश के अनुशरण में तहसीलदार बाडी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2608 दिनांक 01.01.2002 वांके कस्वा बाडी नम्बर–3 को दिनांक 10.09.2018 निरस्त किया गया है जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.2014 की पालना में निरस्त किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बाडी से रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार बाडी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.02.2024 में यह अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 2608 ग्राम बाडी न03 को निरस्त किए जाने के पश्चात गुणावगुण के अनुसार नामान्तकरण संख्या 5229 दिनांक 13.09.2018 को आराजी खसरा नम्बर 3712, 3751, 3752,3780,3785, 3790,3791,3794 कुल रकवा 12.02 वीघा स्थित वांके ग्राम वाडी नम्बर–3 में वद्रीप्रसाद पुत्र गंगाराम के स्थान पर दिनेश कुमार पुत्र वद्रीप्रसाद हिस्सा 1/3, कस्तूरीदेवी पुत्री वद्रीप्रसाद हिस्सा 1/3 व रामवेटी पत्नी तुलाराम हिस्सा 1/3 साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड किया गया है जिसके नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति पेश की हैं। अतः इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 2608 दिनांक 01.01.2002 वांके कस्वा बाडी नम्बर–3 को दिनांक 10.09.2018 निरस्त किया गया है जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.12.2014 की पालना में निरस्त किया गया जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)